फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 227 /2024

मनराज **बनाम** सरकार

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण श्री मुकेश मामोडिया हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थी भूमि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खसरा नंबर 38, 86, 87, 206, 207, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430 कुल किता 18 कुल रकबा 2.58 है0 वाके ग्राम अजमेरीपुरा तहसील कोटखावदा मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पुत्र लादूराम दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम मनराज मीना पुत्र स्व0 लादूराम दर्ज होना बताया है। प्रार्थी / वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में रामप्रसाद पुत्र लादूराम के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं प्रार्थी के शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि वादी रामप्रसाद पुत्र लादूराम व मनराज पुत्र स्व.लादूराम एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम मनराज पुत्र स्व.लादूराम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में मनराज पुत्र स्व.लादूराम दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	